भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4176

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया के अंतर्गत परियोजनाएं

4176. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से अब तक इसके अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की वर्षवार और क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में इन परियोजनाओं की पूर्णता दर और परिचालन स्थिति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या राज्य में मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत परियोजनाओं में देरी, आरंभ न होने या रद्द होने के मामले पाए गए हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु में इस पहल के अंतर्गत आबंटित औद्योगिक गलियारे या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का अभी तक कम उपयोग हुआ है या उनमें बुनियादी अवसंरचना सहायता की कमी है;

(ङ) क्या सरकार इस बात को मानती है कि कुशल जनशक्ति की कमी के कारण राज्य में ऐसी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इन चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि मेक इन इंडिया पहल तमिलनाडु में संवहनीय विनिर्माण और रोजगार सृजन में परिवर्तित हो सके?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): निवेश को सुगम बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की

शुरुआत की गई थी। 'मेक इन इंडिया 2.0' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की सॉफ्ट लॉन्चिंग आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है। उपर्युक्त सभी पहलें/स्कीमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार, तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों में कार्यान्वित की जाती हैं।

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर बल देगा, अर्थात व्यापार करने में सुगमता और उसकी लागत; अधिक मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और ऊर्जावान एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु सहित राष्ट्रीय स्तर पर 12.3 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगारों का सृजन हुआ है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु सहित देशभर से 14 क्षेत्रों से संबंधित 806 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में सृजित रोजगारों और स्थापित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), मुख्य रूप से निजी निवेश-आधारित पहल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया जा सकता है। एसईजेड स्थापित करने के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तमिलनाडु राज्य में कुल 58 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 49 एसईजेड प्रचालनरत हैं। देश में प्रचालनरत एसईजेड की कुल संख्या 276 है।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देशभर में समाज के सभी वर्गों को कौशल प्रशिक्षण, पुनः कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य, भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योगों से संबंधित कौशल से परिपूर्ण करना है। पीएमकेवीवाई के तहत, कुल 8,85,134 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/उत्प्रेरित किया गया है, जिनमें से 7,15,802 को स्कीम की शुरुआत से 30 जून, 2025 तक तमिलनाडु में प्रमाणित किया गया है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं।

मंत्रालयों द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार की जाती हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्कीमें हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4176 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. जैव प्रौद्योगिकी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

*****

अनुबंध II

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4176 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र	विनिर्माण इकाईयों की संख्या
1	फार्मास्यूटिकल औषधियां	16
2	व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	6
3	टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद	13
4	खाद्य उत्पाद	12
5	बल्क औषधियां	2
6	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	2
7	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	8
8	ड्रोन और ड्रोन संबंधी घटक	3
9	आईटी हार्डवेयर 2.0	9
10	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	36
11	वस्त्र उत्पाद:एमएमएफ घटक और तकनीकी वस्त्र	11
12	उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल(भाग I और II)	3
13	एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	1
14	विशेष इस्पात	4
कुल		**126**

(*पीएलआई कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार*)

*****